

न्यायालय— द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश, गोहद जिला—भिण्ड
(समक्ष : पी०सी०आर्य)

सिविल अपील क्रमांक: 25/2014

संस्थापन दिनांक 28/08/2014

फाइलिंग नंबर—230303011272014

1. श्यामबिहारी पुत्र रामदीन आयु 37 साल जाति ब्राह्मण
निवासी ग्राम शेरपुर परगना गोहद
जिला भिण्ड म०प्र०

.....अपीलार्थीगण/वादीगण

वि रू द्ध

1. जगदीश आयु 43 साल
2. जगदेव आयु 41 साल पुत्रगण शिवचरन सिंह
जाति सिक्ख निवासीगण ग्राम शंकरपुर
परगना गोहद जिला भिण्ड
3. सियाराम पुत्र रामबाबू आयु 40 साल निवासी ग्राम शेरपुर
परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
4. रामनारायण पुत्र रामदीन आयु 39 साल जाति ब्राह्मण ग्राम शेरपुर
परगना गोहद जिला भिण्ड म०प्र०
5. म०प्र० शासन द्वारा—श्रीमान कलेक्टर महोदय मण्डल भिण्ड

.....प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण

न्यायालय—श्री केशवसिंह, व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग—एक,
गोहद द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक—54ए/13 ई०दी० में
पारित आदेश दिनांक 05/08/2014 से उत्पन्न सिविल
अपील।

अपीलार्थी/वादी द्वारा श्री विजय श्रीवास्तव अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 द्वारा श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता उप०।
प्रत्यर्थी क्रमांक 3, 4, 5 पूर्व से एकपक्षीय।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 05 अक्टूबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थी/वादीगण द्वारा यह अपील श्री केशवसिंह व्यवहार न्यायाधीश वर्ग एक, गोहद द्वारा अपने न्यायालय के व्यवहारवाद क्रमांक—54ए/2013 ई०दी० में दि.—05/08/2014 को घोषित निर्णय से व्यथित होकर पेश की गयी है। जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने वादी/अपीलार्थी का मूल वाद खारिज किया है, जिसमें वादी/अपीलार्थी द्वारा विवादित भूमि की स्वत्व आधिपत्यधारी होने की

घोषणा सहित पंजीकृत बिक्रयपत्र दिनांक 15/06/1993 को उसकी नाबालिकी में निष्पादित होने से उसे शून्य व प्रभावहीन घोषित किये जाने की प्रार्थना की गई है।

2. प्रकरण विवादित भूमि के सर्वे क्रमांक और रकवा स्वीकृत हैं, यह भी स्वीकृत है, कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी रामनारायण वादी/अपीलार्थी का सगा बड़ा भाई है, तथा विचारण के दौरान फोट हुआ प्रतिवादी रामबाबू वादी/अपीलार्थी का ताऊ था। यह भी स्वीकृत है, कि दिनांक 15/06/1993 को प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 एवं प्र०डी०-03 के बिक्रयपत्र तथा प्र०डी०-02 का विनिमयपत्र संपादित हुये थे जिनमें वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी उसका बड़ा भाई रामनारायण और ताऊ रामबाबू पक्षकार थे जिनमें वादी अपीलार्थी को 20 वर्षीय वयस्क अंकित किया गया था।
3. वादी/अपीलार्थी का वाद संक्षेप में इस प्रकार है, कि भूमि सर्वे क्रमांक 2513 रकवा 0.711, 3814 रकवा 1.055, 3815 रकवा 0.263, 3816 रकवा 0.272, 3820 रकवा 0.762, 3823 रकवा 0.617, 3826 रकवा 3.275 कुल रकवा 4.985 हैक्टे० में 1/6 भाग जिसका मिन रकवा 0.278 हैक्टे० है, उक्त भूमि का बन्दोबस्त हो गया है, वाद निवन भूमि खसरा क्रमांक 3134 रकवा 2.32 सर्वे कं०-3137 रकवा 2.81 में मिन रकवा 0.27 हैक्टे० मौजा शेरपुर परगना गोहद जिला में स्थित है, जिसका वादी/अपीलार्थी भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है, यही विवादित भूमि है, जो वादपत्र में विवादित भूमि के नाम से संबोधित की जावेगी। दिनांक 15/06/93 को वादी नाबालिक था उसकी जन्म तिथि 10/06/1977 थी इसलिए वह अपना भला बुरा सोचन समझने में सक्षम नहीं था इसलिए प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 ने प्रतिवादी क्रमांक 03 के मृतक पिता रामबाबू व प्रतिवादी कं० 04 को संपूर्ण प्रतिफल देकर बिक्रयपत्र का निष्पादन करा लिया और वादी को कोई प्रतिफल प्राप्त नहीं हुआ है। वादी/अपीलार्थी का आगे यह भी कहना है, कि वादी/अपीलार्थी नाबालिक होने के कारण बिक्रयपत्र आदि के बारे में कुछ भी नहीं समझता था और वह अपना भला बुरा सोचने समझने में सक्षम नहीं था, फिर भी प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 ने छलकपट व बेईमानी से बिना प्रतिफल दिये नाबालिक की भूमि का बिक्रयपत्र करा लिया, जो वादी के मुकाबले व्यर्थ होकर शून्य है। वादी/अपीलार्थी उक्त भूमि पर खेती करता रहा है, और जब वह खेती करने गया तो प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 ने कहा कि हमने उक्त भूमि का बयनामा करा लिया है, तब वादी/अपीलार्थी ने बिक्रयपत्र की नकलें दिनांक 08/06/11 को प्राप्त हुई तब उसे जानकारी हुई तथा तब वादी/अपीलार्थी ने उक्त बोगस बिक्रयपत्र को अपास्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया और सहायता चाही की विवादित भूमि का हिस्सा रकवा 0.27 का वादी/अपीलार्थी भूमिस्वामी और आधिपत्यधारी है तथा बिक्रयपत्र कं०-557 दिनांक 15/06/93 वादी के मुकाबले व्यर्थ और शून्य है तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा चाही कि विवादित भूमि का प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 रहन व्यय, बिक्रय करके हस्तांतरण न करें तथा वादी के कब्जे में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करें, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज किया गया है, जिससे व्यथित होकर वादी ने विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल वाद क्रमांक 54ए/13 ई०दी० में घोषित निर्णय दिनांक 05/08/14 को अपास्त करने एवं मूल वाद डिकी किये जाने की प्रार्थना की गई है।
4. प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 की ओर से वादपत्र का जबाव पेश कर यह

अभिवचन किया है, कि उल्लेखित भूमि का वादी/अपीलार्थी भूमिस्वामी एवं आधिपत्यधारी नहीं है। वास्तव में उक्त भूमि के प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्र०-01 व 02 रिकार्डेड भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी है, वादी/अपीलार्थी व उसके खास भाई रामनारायण व तारु रामबाबू ने पद क्रमांक उक्त वर्णित भूमि को विधिवत दिनांक 15/06/93 को बिक्रय किया है, जिसका संपूर्ण प्राप्त किया है, तब से आज तक हम प्रतिवादी/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 व 02 भूमि पर काबिज होकर काश्त कर रहे हैं। बिक्रयपत्र दिनांक को वादी बालिक था। उसने समस्त तथ्य मनगढ़ंत व झूठे लिखे हैं। वादी/अपीलार्थी ने 15/06/93 को एक जमीन का बयनामा हम प्रतिवादीगण से अपने हक में कराया था, जिसमें वादी/अपीलार्थी ने अपनी आयु 20 वर्ष लिखाई है, तथा अन्य जमीन का बयनामा बाबूसिंह पुत्र सुखनसिंह निवासी शेरपुर से भी दिनांक 15/06/93 को कराया है, उसमें भी वादी/अपीलार्थी की आयु 20 वर्ष दर्ज है इस प्रकार विबंधन का सिद्धांत भी वादी पर लागू होता है, इसलिए वादी की ओर से प्रस्तुत अपील सव्यय निरस्त की जावे।

5. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षों के अभिवचनों एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर वादप्रश्नों की रचना करते हुए विचारण करते हुए गुणदोषों पर दिनांक 05/08/14 को घोषित निर्णयानुसार वादी/अपीलार्थी का वाद निरस्त किया, जिससे व्यथित होकर उक्त प्रथम सिविल अपील अपीलार्थी/वादी की ओर से पेश कर यह आधार लिया है, कि विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिविधान के विपरीत होने से निरस्ती योग्य है, वादी/अपीलार्थी ने यह भी आधार लिया है, कि उसके द्वारा जो साक्ष्य पेश की गई है उसकी विधि सम्मत तरीके से विवेचना नहीं की गई है, क्योंकि अपीलार्थी/वादी द्वारा नाबालिकी के प्रमाण स्वरूप प्र०पी०-05 की अंकसूची पेश की गई है उसके खण्डन में प्रतिवादी/प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार का कोई अभिवचन नहीं किया गया है, तथा उस पर अविश्वास किये जाने का भी कोई कारण अभिलेख पर नहीं है, बयनामों के समय अपीलार्थी/वादी नाबालिका था यह तथ्य साक्ष्य में भली भंति प्रमाणित है, जिसका खण्डन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा नहीं किया गया है, और अधीनस्थ न्यायालय ने मानमाने तौर पर रिकार्ड के विपरीत विवेचना करके निर्णय घोषित किया है। अतः उपरोक्त आधारों पर वादी/अपीलार्थी द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांक 05/08/14 को निरस्त की जाकर मूल वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

6. विचाराधीन प्रथम सिविल अपील के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि —
 1. “क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा घोषित निर्णय दिनांकित 05/08/14 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल होकर अपास्त किये जाने योग्य है ?”
 2. “क्या अपीलार्थी/वादी का मूल वाद डिक्री किये जाने योग्य है ?”

निष्कर्ष के आधार

7. उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए

एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।

8. वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील ज्ञापन में उठाये गये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप लिखित व मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए मूलतः इस बात पर बल दिया है, कि प्रश्नगत बिक्रयपत्र दिनांक 15/06/93 को वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी अवयस्क था, जिसकी जन्मतिथि 10/06/1977 है और वह अवयस्क होने की वजह से कोई समझ नहीं रखता था। प्र०पी०-03/डी-01 का बिक्रयपत्र छल कपट बेईमानी पूर्वक करा लिया गया, जिसका कोई प्रतिफल उसे प्राप्त नहीं हुआ, बिक्रयपत्र के तथ्य की जानकारी उसे दिनांक 08/06/11 को होने पर उसके स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा एवं बिक्रयपत्र प्र०पी०-03/डी-01 को अपास्त करने हेतु दावा पेश किया, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य व विधि की विवेचना किया बगैर मनमाने तौर पर वादी/अपीलार्थी के अवयस्क होने के बावजूद वाद को खारिज कर दिया है, जबकि वादी/अपीलार्थी के अवयस्क होने के बिन्दु को प्र०पी०-05 की अंकसूची के माध्यम से प्रमाणित किया गया था, जिसका कोई खण्डन नहीं हुआ है और अंकसूची पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण नहीं है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत होकर मनमाना है। जबकि विवादित भूमि पर वादी/अपीलार्थी का कब्जा एवं कास्त है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर संपूर्ण वादप्रश्नों को विधि अनुसार निर्मित नहीं किया है और अवयस्क के संबंध में कोई बिन्दु निर्मित नहीं किया है। वादी/अपीलार्थी की अंकसूची के बारे में प्रतिवादपत्र में भी कोई खण्डन नहीं किया गया था। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी को प्रश्नगत बिक्रयपत्र के समय 20 वर्षीय वयस्क मान लेने में गंभीर विधिक त्रुटि की है इसलिए प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय व डिक्री अपास्त की जाये और मूल वाद डिक्री की जाकर वादी/अपीलार्थी को विवादित भूमि का भूमिस्वामी आधिपत्यधारी घोषित करते हुए प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के बयनामों को शून्य घोषित किया जाये।
9. प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा भी लिखित व मौखिक तर्क प्रस्तुत करते हुए वादी/अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के लिखित व मौखिक तर्कों को विधि विरुद्ध और अभिलेख के प्रतिकूल बताते हुए मूलतः यह आपत्ति ली है, कि प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 का बयनामा दिनांक 15/06/93 को जब हुआ था। उसी समय वादी, उसके भाई एवं तारु के द्वारा प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण (उनके पक्ष में) विनिमयपत्र किया गया था, तथा बाबूसिंह को भी वादी/अपीलार्थी सहित उसके बड़े भाई और तारु के द्वारा प्र०डी०-03 का बयनमा भी कराया था, जिन सभी में वादी/अपीलार्थी की उम्र 20 वर्ष स्वयं उसके द्वारा लिखवाई गई थी और तीनों दस्तावेजों के निष्पादन की कार्यवाही में वादी/अपीलार्थी उपस्थित होकर शामिल रहा था। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी/अपीलार्थी को प्रश्नगत बिक्रयपत्र के समय बालिक मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है तथा जिस प्र०पी०-05 की अंकसूची के आधार पर वादी/अपीलार्थी उक्त अपील लेकर आया है, वह विधिक रूप से प्रमाणित नहीं है, न ही वह ग्राह्य योग्य है, क्योंकि उसे विधि सम्मत प्रक्रिया द्वारा ना तो प्रस्तुत किया गया और ना सिद्ध किया गया, इसलिए

विश्वसनीय नहीं है, और प्रतिफल के संबंध में वादी/अपीलार्थी ने अपने भाई एवं तारु जिन्हें कि पक्षकार बनाया था, उनसे सहायता नहीं मांगी है। आदेश 02 नियम 02 सी०पी०सी० के तहत वह त्याग चुका है तथा जो आधार अपील में उठाये गये हैं, उसके बाबत अभिवचन नहीं है। इसलिए प्रकरण में आदेश 06 नियम 02 सी०पी०सी० की भी बाधा है, अपील ज्ञापन की कंडिका 28 लगायत 30 में प्र०पी०-05 की अंकसूची बाबत अभिवचन न किया जाना स्वीकार किया है, न्याय दृष्टांत **मेसर्स गणेश ट्रेडिंग कंपनी विरुद्ध मौजीराम ए०आई०आर०-1978 सुप्रीम कोर्ट पेज 484** की कंडिका 03 में अभिवचनों में तात्त्विक तथ्यों का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जबकि विचाराधीन मामले में तात्त्विक तथ्यों के अभिवचनों का वादी/अपीलार्थी के मूल वाद में सर्वथा अभाव है। प्रकरण में विबंधन का भी सिद्धांत लागू होता है। जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 के आधार पर विधि सम्मत तरीके से निष्कर्षित किया है और प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 को प्रत्यर्थी/प्रतिवादीगण के द्वारा सक्षम साक्ष्य से प्रमाणित कराया गया था। इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय में निकाला गया निष्कर्ष विधि सम्मत और उचित है, इसलिए प्रस्तुत अपील में कोई विधिक बल न होने से उसे सव्यय निरस्त किया जाये।

10. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के लिखित व मौखिक तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर आई साक्ष्य और दस्तावेजों का अध्ययन किया गया, वाद की प्रकृति पर भी विचार किया गया वादीगण/अपीलार्थीगण के द्वारा पूर्व निर्णित सिविल वाद क्रमांक 54ए/13 निर्णय दिनांक 05/08/2014 को चुनौती देते हुए, प्र०पी०-05 की अंकसूची के आधार पर प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के बिक्रयपत्र के समय अवयस्क होने के आधार पर और प्रतिफल और कब्जे का आदान प्रदान न होने के आधार पर चुनौती दी है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां दोनों पक्षों की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां अभिलेख पर आई संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, इस संबंध में न्याय दृष्टांत **ग्याराम विरुद्ध सीताबाई 1954 भाग-01 एम०पी०जे०आर० पेज-148** में दिया मार्गदर्शन अवलोकनीय है, विचाराधीन मामले में भी इस न्यायालय की हैसियत प्रथम अपीलीय न्यायालय की है, इसलिए प्रथम अपीलीय न्यायालय को निष्कर्ष निकालने के लिए साक्ष्य का मूल्यांकन करना होता है। इसलिए विचाराधीन प्रथम सिविल अपील में उक्त सिद्धांत का पालन करना होगा और संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा।

11. अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख का अध्ययन करने पर वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी के द्वारा प्रकरण में बताई गई वादग्रस्त भूमि के स्वत्व आधिपत्यधारी होने की घोषणा सहित प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के बिक्रयपत्र का बगैर प्रतिफल व कब्जा के आदान प्रदान एवं स्वयं का अवयस्क होकर बिक्रय हेतु सक्षम न होने का आधार लेते हुए चुनौती दी गई है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रमाणित माना है, तथा वादी/अपीलार्थी को प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के निष्पादन के समय वयस्क व सक्षम मानते हुए वाद खारिज किया है, इसलिए प्रकरण में मूलतः यही बिन्दु विचारणीय है, कि क्या प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 निष्पादन दिनांक 15/06/93 को

वादी/अपीलार्थी अवयस्क था, किंतु अपील ज्ञापन मुताबिक वादी/अपीलार्थी ने अपनी जन्मतिथि प्र०पी०-05 के आधार पर दिनांक 10/06/1977 होना बताई है। प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 के दस्तावेजों के निष्पादन दिनांक को वादी/अपीलार्थी ने उपपंजीयक कार्यालय में उपस्थित होने से ही अपने अभिसाक्ष्य में इन्कार किया है, इसलिए उसके साक्ष्य की विश्वसनीयता को भी परखना होगा।

12. प्रकरण में वादी/अपीलार्थी का बड़ा भाई रामनारायण जो कि प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 04 है एवं मध्यप्रदेश शासन मूल वाद में भी एक पक्षीय रहे है, और अपील में भी एक पक्षीय है, तथा वादी/अपीलार्थी का ताऊ रामनारायण जो विचारण के दौरान फोटो हो गया था, जिसके वारिस के रूप में उसका पुत्र सियाराम प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 03 के रूप में पक्षकार रहा है वह भी मूल वाद एवं अपील दोनों में एक पक्षीय है, अर्थात् प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विरुद्ध ही मूलतः उक्त अपील और वाद था, जबकि प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 में वादी/अपीलार्थी और उसका बड़ा भाई रामनारायण व ताऊ रामबाबू वादी/अपीलार्थी के समान ही हैसियत रखते थे, जिनकी ओर से प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं की गयी है, न ही चुनौती दी गयी है, इसलिए भी वादी/अपीलार्थी की मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य की विश्वसनीयता के बारे में सतर्कतापूर्वक मूल्यांकन की आवश्यकता हो जाती है।

13. वादी/अपीलार्थी के द्वारा वादपत्र की कण्डिका 02 में स्वर्गीय रामबाबू एवं प्रत्यर्थी रामनारायण के द्वारा संपूर्ण प्रतिफल प्राप्त करना और प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 द्वारा दिया जाना बताया है, उसे अवयस्क होने से सोचने समझने में समर्थ न होने के कारण उसकी नावालिकी में अवैध रूप से बिक्रयपत्र कराये जाने को उसके मुकाबले व्यर्थ व शून्य बताया गया है, परंतु जो प्रार्थना की गई है और जो डिक्री चाही गई है, उसमें स्वर्गीय रामबाबू एवं प्रत्यर्थी रामनारायण के विरुद्ध डिक्री नहीं चाही गई है, तथा प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के बिक्रयपत्र की संपूर्ण राशि रामबाबू और रामनारायण द्वारा प्राप्त की गई थी, तो उनके विरुद्ध भी डिक्री मांगनी चाहिए थी, जो कि नहीं मांगी गई, ऐसे में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आदेश 02 नियम 02 सी०पी०सी० के संबंध में किया गया तर्क विधिक महत्व रखता है, जिसमें यह प्रावधान है, कि

1. हर वाद के अंतर्गत वह पूरा दावा होगा जिसे उस वादहेतुक के विषय में करने का वादी हकदार है, किंतु वादी वाद को किसी न्यायालय की अधिकारिता के भीतर लाने की दृष्टि से अपने के किसी भाग का त्याग कर सकेगा।

2. जहां वादी अपने दावे के किसी भाग के बारे में वाद लाने का लोप करता है या उसे साशय त्याग देता है वहां उसके पश्चात् वह इस प्रकार का लोप किए गए या त्यक्त भाग के बारे में वाद नहीं लाएगा।

ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी का उक्त प्रावधान के अंतर्गत संपूर्ण वाद नहीं आया है, बल्कि रामबाबू और रामनारायण से संबंधित भाग का त्याग जाना परिलक्षित होता है।

14. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि प्रत्येक सिविल वाद का निराकरण प्रबल

संभावनाओं के संतुलन के आधार पर किया जाता है, तथा प्रमाण भार वादी पर होता है, और वह प्रतिवादी की किसी कमजोरी का लाभ डिक्री प्राप्त करने के लिए नहीं ले सकता है, यह भी सुस्थापित सिद्धांत है, कि जहां उभय पक्ष की ओर से साक्ष्य पेश की जाती है, वहां संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होता है, विचाराधीन मामले में उभय पक्ष की ओर से मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य पेश की गई है, इसलिए संपूर्ण साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकालना होगा। यह भी सुस्थापित विधि है, कि जहां किसी बिन्दु पर मौखिक व दस्तावेजी दोनों प्रकार की साक्ष्य हो वहां दस्तावेजी साक्ष्य अधिक प्रबल होगी, हालांकि उसे मौखिक साक्ष्य से खण्डित कराया जा सकता है।

15. सर्वप्रथम वादी/अपीलार्थी की प्र०पी०-०३/प्र०डी०-०१, प्र०डी०-०२, प्र०डी०-०३ के संव्यवहार दिनांक 15/06/93 को उम्र का आंकलन किया जाये तो वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी स्वयं को अवयस्क बताकर आया है, किंतु वह उस समय कितनी उम्र का था, इस बारे में स्पष्ट न तो उसके अभिवचन है, न उसने मौखिक साक्ष्य में बताया है यदि प्र०पी०-०५ की अंकसूची को इस संबंध में अवलोकन में लिया जाये, जिस पर कि वादी/अपीलार्थी सर्वाधिक विश्वास करके आया है, तो प्र०पी०-०५ की अंकसूची वर्ष 1989 की होकर प्राथमिक परीक्षा की है, जिसमें उसकी जन्म दिनांक 10/06/1977 अभिलिखित है, जिसके आधार पर वह अवयस्क होना कहता है, उस हिसाब से प्र०पी०-०३/प्र०डी०-०१ के बयानां के समय उसकी उम्र 16 वर्ष बनती है, जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विश्वसनीय नहीं माना है, जिसे चुनौती दी गई है।
16. वादी/अपीलार्थी यदि प्र०पी०-०५ के आधार पर अपनी उम्र बताता है, तो उसे प्र०पी०-०३/प्र०डी०-०१ के बिक्रयपत्र के 2 वर्ष के पश्चात अर्थात् वयस्क होते ही शून्य घोषित करने की कार्यवाही करनी चाहिए थी, इस हिसाब से वादी को प्र०पी०-०३/प्र०डी०-०१ को शून्य घोषित करने के संबंध में वादकारण वर्ष 1995 में उत्पन्न हो जाता है, किंतु उसका मूल वाद दिनांक 19/09/12 को प्रस्तुत हुआ है, और घोषणात्मक स्वरूप का वाद है, जिसमें स्वत्व घोषणा चाही है, और जब किसी लिखितम को अपास्त करने की डिक्री चाही जाये या स्थाई निषेधाज्ञा चाही जाये, ऐसी डिक्री के लिए प्रथम बार वादकारण उत्पन्न होने के 3 वर्ष के भीतर दावा करना आवश्यक होता है, जैसा कि भारतीय परिसीमा अधिनियम 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 54/56 में प्रावधान है, इसलिए वयस्क होने की दिनांक से यदि देखा जाये तो मूल वाद अवधि बाह्य था, किंतु इस बिन्दु को प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा विचारण के दौरान नहीं उठाया गया है और ना ही अपील में स्पष्टतः से उठाया गया है, इसलिए इस बिन्दु को आगे विश्लेषित किये जाने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, किंतु वादकारण उत्पन्न होने की स्थिति को स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।
17. वादी/अपीलार्थी ने अपने अभिवचनों में प्र०पी०-०३/प्र०डी०-०१ के बयानां की जानकारी दिनांक 08/06/11 को बिक्रयपत्र की नकल लेने पर होना बताई गई है, और यह सुस्थापित विधि है कि जो वादकारण वादी द्वारा बताया जाता है, उसे प्रमाणित करने का भार भी उसी का होता है, किंतु उक्त दिनांक को वादकारण उत्पन्न होने से स्वयं वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी वा०सा०-०१ ने अपने अभिसाक्ष्य के

पैरा-09 में इन्कार किया है, और यह कहा है, कि उसे दिनांक 08/06/11 को बयनामे के संबंध में जानकारी मिली थी, ऐसा तथ्य नहीं लिखाया था, कैसे लिख गया वह कारण नहीं बता सकता है, इससे वादी/अपीलार्थी द्वारा ही बताये गये वादकारण का स्वमेव खण्डन किया गया है। जिससे उसके विरुद्ध इस आशय की प्रतिकूल उपधारणा निर्मित होती है, कि वादी/अपीलार्थी को प्रश्नगत बयनमे की शुरु से ही जानकारी है, ऐसी स्थिति में वाद अवश्य अवधि बाह्य हो जाता है, क्योंकि वादकारण सिद्ध नहीं हो रहा है।

18. प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 की दिनांक 15/06/93 की निष्पादन स्थिति को देखा जाये तो स्वयं वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी वा०सा०-01 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-05 में यह कहा है, कि वह बयनामा करने के लिए नहीं गया था, लेकिन उसने यह स्वीकार किया है, कि प्र०पी०-03 पर उसका फोटो ए से ए भाग पर लगा है और उसके भाई रामनारायण और ताऊ रामबाबू के फोटो बी से बी भाग और सी से सी भाग पर लगे हैं, तथा बयनामे में उसकी उम्र 20 वर्ष अंकित है, किंतु उस पर उसने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया है, यह स्वीकार किया है, कि बयनामे के फर्जी होने के संबंध में उसने पुलिस में कोई कार्यवाही नहीं की पैरा-6 में उसने उक्त बयनामे के समय अपनी उम्र 14-15 वर्ष के करीब बताते हुए यह कहा है, कि बयनामे के साक्षी गंगा सिंह तोमर और रूक्मसिंह जीवित हैं गंगा सिंह ग्राम शेरपुर में रहता है, और रूक्मसिंह ग्वालियर में रहता है, पैरा-07 में वह यह भी कहता है, कि वादग्रस्त भूमि के प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 जगदीश व जगदेव भूमिस्वामी तो हैं, लेकिन कब्जा उसका है, और वह खेती कर रहा है, प्र०डी०-02 के बिनिमयपत्र और प्र०डी०-01 का बयनामा वह गलत बताता है, पैरा-08 में प्र०पी०-03 के बयनामे की प्रतिफल राशि ताऊ रामबाबू और भाई रामनारायण द्वारा लेना वह कहता है। उसके दोनों अन्य साक्षी मुरारी शर्मा वा०सा०-02 और मुन्नालाल वा०सा०-03 जो कि ग्राम शेरपुर के ही निवासी हैं, उन्होंने प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 की जानकारी बावत तो बताया है, लेकिन कब्जा कास्त वादी का होने का समर्थन वे अवश्य करते हैं, दोनों ने प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 पर वादी/अपीलार्थी की फोटो लगे होने और उम्र बीस वर्ष लिखा होना अवश्य स्वीकार किया है, किंतु वह वादी को अवयस्क बताते हैं, इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 की ओर से जो साक्ष्य प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 के आधार पर पेश की गई उसके आधार पर वादी/अपीलार्थी को संब्यवहार के समय वयस्क बताया गया है।

19. वादी/अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत की गई मौखिक साक्ष्य को देखा जाये तो बयनामा करने के लिए वह जाने से इन्कार करता है जो कि महत्वपूर्ण तथ्य है, किंतु मूल वादपत्र के अभिवचनों में उसके द्वारा बिक्रयपत्र को बोगस होना तो कहा है, लेकिन ऐसा स्पष्ट अभिवचन नहीं किया है, कि वह बयनामा करने उपपंजीयक कार्यालय नहीं गया, अर्थात् इस संबंध में उसकी साक्ष्य बगैर अभिवचन के है, और आदेश 06 नियम 04 के उपबंध मुताबिक उक्त विशिष्टि का अभिवचन आवश्यक था, क्योंकि वह दुर्व्यपदेशन कपट का आधार पर लेकर आया है, न्याय दृष्टांत **सी.व्ही. रामचंद्रन विरुद्ध व्ही.एस. नारायण 1963 एम.पी.एल.जे. शार्टनोट 217** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वार यह प्रतिपादित किया है, कि जिस बिन्दु पर अभिवचन नहीं किया जाता है, उन पर यदि साक्ष्य प्रस्तुत कर भी दी जाती है तो ऐसी

साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है, जो कि वादी/अपीलार्थी के बयानामे को ना जाने के अभिसाक्ष्य के संबंध में लागू होती है, क्योंकि उस बावत अभिवचन नहीं किया गया है। इसलिए उक्त साक्ष्य ग्राह्य योग्य नहीं है, दूसरी ओर प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के पर वह अपना फोटो बताता है, फोटो कैसे पहुंचा इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है, तथा हस्ताक्षरों से इन्कार इस आधार पर किया है, कि वह बयानामा करने गया ही नहीं था, लेकिन हस्ताक्षरों की जांच किसी हस्तलेख विशेषज्ञ से ना तो उसने स्वयं कराई और ना ही न्यायालय के माध्यम से हस्ताक्षरों की जांच कराने की प्रार्थना की गई, जबकि उसके द्वारा बिक्रयपत्र छल-कपट पर आधारित बताया गया है। ऐसे में उसे हस्ताक्षरों की जांच करानी चाहिए थी, जिसकी प्रार्थना अपील स्तर पर भी नहीं की गई है। न्याय दृष्टांत **विजय कुमार ताम्रकार विरुद्ध श्रीमती शांती सिंह 1993 भाग-02 एम०पी०डब्ल्यू०एन० शॉर्टनोट-155** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया है, कि दस्तावेजों के बारे में कपट का आधार करने वाले पक्षकार पर ही उसे साबित करने का भार होता है, ऐसा ही मार्गदर्शन न्याय दृष्टांत **हरदयाल विरुद्ध आराम सिंह 2001 भाग-01 एम०पी०जे०आर० पेज-339** में भी प्रतिपादित किया गया है। इसलिए छल का जो आधार लिया गया है, कि उसकी नाबालिकी और नासमझी में बयानामा करा लिया, इसे विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा प्रमाणित करने का भार वादी/अपीलार्थी पर ही है, किंतु वह फर्जी बयानामे की कोई शिकायत इस दावे के अलावा नहीं की गई है, यह उसके अभिसाक्ष्य को अविश्वसनीय उस स्थिति में बनाता है, जबकि हस्ताक्षरों की भी उसने जांच नहीं कराई है, जबकि फोटो उसी का है, तथा दिनांक 15/06/93 को बयानामा करने के लिए जाने से वह इन्कार करता है, जबकि उसका खण्डन प्रत्यर्थी/प्रतिवादी की प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य से होता है, जिसमें प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के अनुप्रमाणक साक्षी गंगासिंह ने प्र०सा०-03 के रूप में अभिसाक्ष्य देते हुए, वादी द्वारा बयानामा वयस्क होते हुए सक्षम व्यक्ति की हैसियत से करना बताया है, ऐसा ही शिवचरन सिंह प्र०सा०-04 और रूक्मसिंह प्र०सा०-05 ने अभिसाक्ष्य देते हुए, प्रत्यर्थी/प्रतिवादी जगदीशसिंह प्र०सा०-02 का समर्थन किया है, जिसमें 20 वर्षीय वयस्क ही हैसियत से बयानामा कराया जाना बताया है, जिसकी पुष्टि उपपंजीयक कार्यालय के अभिलेख के आधार पर सबरजिस्ट्रार शिवाजीराव माने प्र०सा०-1 ने करते हुए, यह कहा है, कि दिनांक 15/06/93 को प्र०पी०-03/प्र०डी०-01, प्र०डी०-02 और प्र०डी०-03 के दस्तावेज संपादित हुये थे, जिनमें वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी की उम्र 20 वर्ष अंकित की गई है और तीनों दस्तावेजों पर वादी/अपीलार्थी के फोटो लगे हैं, यह अवश्य कहा है, कि उस समय वह पदस्थ नहीं था, बल्कि उपपंजीयक एल०के० बंसल थे, जो फोटो हो चुके हैं। ऐसे में वादी/अपीलार्थी की बजाय प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य अधिक प्रबल हो जाती है।

20. वादी/अपीलार्थी की ओर से ऐसा ना तो अभिवचन किया गया है और ना ही साक्ष्य दी गई है, कि प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 सहित प्र०डी०-02 और प्र०डी०-03 के दस्तावेजों के निष्पादन के समय संबंधित उपपंजीयक के द्वारा कोई कूट रचना की गई, जबकि तीनों ही दस्तावेजों में जो एक ही दिनांक के हैं, उनमें वादी/अपीलार्थी की उम्र 20 वर्ष अंकित की गई है। उपपंजीयक के बारे में न्याय दृष्टांत **धर्मेन्द्र एवं अन्य विरुद्ध नगर निगम इंदौर 1999 भाग-01 जे०एल०जे० पेज 119** में यह

प्रतिपादित किया है, कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 की धारा-17 मुताबिक सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज का कूटरचित होना नहीं माना जा सकता है, क्योंकि पंजीयक से यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती है, कि वह कूटरचित दस्तावेज पंजीकृत करेगा, किंतु ऐसा आधार लेने वाला पक्षकार उसे खण्डित कर सकता है। हस्तगत मामले में उपपंजीयक द्वारा कूटरचित दस्तावेज निष्पादित किया गया ऐसा आधार नहीं लिया गया है, तथा वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्र०डी०-02 व प्र०डी०-03 के बारे में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है और उन पर वह मौनप्राय है। उसका सर्वाधिक बल प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 पर ही है, जबकि दोनों दस्तावेज एक ही समय एक ही संव्यवहार के अंतर्गत हुये हैं, ऐसे में उन्हें कूट रचित नहीं माना जा सकता है।

21. वादी/अपीलार्थी द्वारा मूल वाद में प्र०पी०-05 की अंकसूची बावत कोई अभिवचन नहीं किया गया है, ना ही अभिवचनों में अपनी जन्म दिनांक 10/06/1977 होना लेख किया है, जिस पर मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य वादी/अपीलार्थी द्वारा दी गई है, उससे यही दर्शित होता है, कि वाद प्रस्तुत करते समय तक वादी को अपनी जन्मतिथि या अंकसूची के बारे में या तो ज्ञान नहीं था, या दस्तावेज उपलब्ध नहीं था, इसलिए अभिवचन नहीं किये या दस्तावेज को बाद में प्राप्त कर पेश किया गया है। वा०सा०-01 से प्र०पी०-05 के संबंध में प्रथक से प्रतिपरीक्षा नहीं हुई है, प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 में लिखी 20 वर्षीय उम्र के बावत सुझाव अवश्य दिया गया है, किंतु प्र०पी०-05 के आधार पर वादी/अपीलार्थी सहायता चाहता है, इसलिए उसे प्रमाणित करने का भार उसी पर होगा, प्र०पी०-05 के संबंध में वादी/अपीलार्थी द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है, कि उसे प्राथमिक विद्यालय शेरपुर में किसके द्वारा भर्ती कराया गया था, कब भर्ती कराया, जन्मतिथि किसने लिखवाई, किस आधार पर लिखवाई, कब लिखवाई या नहीं लिखवाई, जबकि वह इस बारे में सर्वोत्तम साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी था। वा०सा०-01 के मुख्य परीक्षण में नाम, बल्दियत को देखते हुए उसके पिता का जीवित होना प्रकट होता है, उसने अपने पिता को भी उम्र से संबंध में साक्ष्य में पेश नहीं किया है धारा-35 भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत कर्तव्य के पालन में लोक दस्तावेजों की प्रविष्टियां सुसंगत मानी जाने का प्रावधान है, किंतु वह केवल प्र०पी०-05 के संबंध में ही लागू नहीं होगा, बल्कि प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 के संबंध में भी लागू होगा, क्योंकि वे सम्यक दृष्टि से निष्पादित दस्तावेज हैं, जिनका खण्डन नहीं हुआ है, बल्कि अनुप्रमाणक साक्षी गंगासिंह वा०सा०-03 और रूकमसिंह वा०सा०-05 भी वादी को वयस्क बताते हुए प्रत्यर्थी/प्रतिवादी का समर्थन कर रहे हैं, जिनसे वादी/अपीलार्थी की कोई बुराई भलाई नहीं है, ऐसी स्थिति में प्र०पी०-05 के आधार पर वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 के बयानां निष्पादित दिनांक 15/06/93 को अवयस्क होना नहीं माना जा सकता है और इस संबंध में वादी/अपीलार्थी की प्रस्तुत साक्ष्य प्रतिवादी/प्रत्यर्थी की प्रस्तुत साक्ष्य के मुकाबले कमजोर है, इसलिए प्र०पी०-05 का वादी/अपीलार्थी अवलम्ब लेने हेतु समर्थ नहीं है इसलिए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे उक्त मूल संव्यवहार के समय वयस्क मानने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि प्र०पी०-05 विधि के अनुरूप प्रमाणित नहीं होता है, बल्कि प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 के दस्तावेज विधि के अनुसार प्रमाणित हैं, क्योंकि उपपंजीयक कार्यालय के मूल अभिलेख से भी उसकी पुष्टि प्र०सा०-01 के माध्यम से

हुई है, ऐसी स्थिति में यही माना जायेगा कि वादी/अपीलार्थी ने अपने बड़े भाई रामनारायण एवं ताऊ रामबाबू के साथ सम्मिलित होकर दिनांक 15/06/93 को वयस्क व सक्षम व्यक्ति होते हुए प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 एवं प्र०डी०-03 के बयाना में तथा प्र०डी०-02 का विनिमयपत्र सम्यक रिति से अनुष्ठापित कराया था। ऐसी स्थिति में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा वादप्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 के संबंध में निकाला गया निष्कर्ष साक्ष्य एवं विधि पर आधारित होने से पुष्टि योग्य है। इस संबंध में प्रत्यर्थी/प्रतिवादी कं०-01 व 02 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्याय दृ० श्रीमती रामीबाई विरूद्ध एल०आई०सी० ऑफ इंडिया भोपाल ए०आई०आर० 1981 एम०पी० पेज 69 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वास्तविक उग्र के संबंध में दस्तावेजी प्रमाण की आवश्यकता बताई न्याय दृ० के मामले में बीमा पॉलिशी धारक की मृत्यु हो जाने पर उसकी वारिस पत्नी के द्वारा बीमित राशि की मांग की गई थी। जिसके संदर्भ में मार्गदर्शन दिया गया है। इस मामले में ऐसे तथ्य नहीं हैं, इसलिए न्याय दृ० को लागू नहीं किया जा सकता है।

22. प्र०डी०-01 लगायत प्र०डी०-03 में कब्जा के आदान प्रदान का भी उल्लेख है, इसलिए वादी/अपीलार्थी श्यामबिहारी वा०सा०-01 तथा उसके अन्य साक्षी मुरारी शर्मा वा०सा०-02 और मुन्नलाल वा०सा०-03 का विवादित भूमि पर काबिज होने का दिया गया अभिसाक्ष्य विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है, राजस्व अभिलेख मुताबिक प्रत्यर्थी/प्रतिवादी क्रमांक 01 व 02 इंद्राजित है, जिसका खसरा प्र०पी०-06 में भी दर्शाया गया है, इस संबंध में भी न्याय दृष्टांत मनोहर लाल विरूद्ध सुगनचंद्र 1977 एम०पी०एल०जे० शॉर्टनोट 38 अवलोकनीय है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है, कि दस्तावेज की शब्दावली के आधार पर उसकी प्रकृति निश्चित की जानी चाहिए जिससे भी वादी द्वारा बताये गये कब्जे की पुष्टि नहीं होती है, तथा अन्य न्याय दृष्टांत रमाकांत विरूद्ध सुरेशचंद्र 1990 भाग-02 एम०पी०डब्लू०एन० शॉर्टनोट 182 में यह प्रतिपादित है, कि किसी दस्तावेज के निबंधनों से ही उसके संव्यवहार की प्रकृति और आशय एकत्र किये जाने चाहिए। उसके निबंधनों रूपांतरण एवं खण्डन करने वाली मौखिक साक्ष्य महत्वहीन होती है, जो इस प्रकरण में लागू उक्त स्थिति में हो जाती है, जब कि प्र०पी०-03/प्र०डी०-01 का संव्यवहार उचित व वैधानिक रीति से होना पाया गया है।

23. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय मुताबिक वादप्रश्न क्रमांक 07 भी वादी के विरूद्ध निर्णित कर प्रकरण में विबंधनों का सिद्धांत (Principle of Esstople) लागू होना माना है, वह भी उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर प्रकरण में लागू किये जाने योग्य है अतः वादप्रश्न क्रमांक 07 के संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पुष्टि योग्य है।

24. उक्त प्रकरण में वादी/अपीलार्थी के अभिवचन और साक्ष्य परस्पर विरोधाभाषी आई है, ऐसी स्थिति में वादी/अपीलार्थी को कोई स्वत्व अर्जित होना नहीं माना जा सकता है, न्याय दृष्टांत भागीरथ विरूद्ध सेवाराम 1986 राजस्व निर्णय पेज 383 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, कि जहां परस्पर असंगत एवं विरोधाभाषी अभिवचन हों तो उसके आधार पर स्वत्व अर्जित नहीं हो सकता है, जिससे भी वादी/अपीलार्थी की अपील में विधिक बल नहीं रह जाता है। इस तरह से

उपरोक्त समग्र कमवार किये गये विश्लेषण के आधार पर वादी/अपीलार्थी की प्रस्तुत की गई प्रथम सिविल अपील में विधिक बल नहीं है और वह प्र०पी०-०३/प्र०डी०-०१ के निष्पादन के समय वयस्क होना पाया गया है। फलतः प्रस्तुत अपील को सारहीन मानते हुए सव्यय निरस्त किया जाता है, और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय व डिक्री की यथावत पुष्टि की जाती है।

25. अपीलार्थी अपने प्रकरण व्यय के साथ-साथ प्रत्यर्थी क्रमांक ०१ व ०२ का प्रकरण व्यय वहन करेगा, जिसमें अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर या तालिका मुताबिक जो भी कम हो वह जोड़ी जावे।

तदनुसार डिक्री तैयार की जावे।

दिनांक- ०५ अक्टूबर २०१६

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित व
हस्ताक्षरित कर पारित किया गया

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

(पी०सी०आर्य)

द्वितीय अपर जिला न्यायाधीश
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)